

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): महासमुंद P.S.(थाना): महासमुंद Year(वर्ष): 2022

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0254 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 03/06/2022 15:21 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	409

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी Date From(दिनांक से): 29/03/2022 Date To(दिनांक तक): 01/06/2022

Time Period
(समय अवधि): Time From
(समय से): 00:00 बजे Time To
(समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date
(दिनांक): 03/06/2022 Time
(समय): 15:21 बजे

(c) General Diary Reference
(रोजानामचा संदर्भ): Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 108 Time
(समय): 03/06/2022 15:21:00 बजे

4. Type of Information(सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. उत्तर, 3 किमी
(थाना से दूरी और दिशा): Beat No
(बीट सं.):

(b) Address कार्यालय प्राथमिक वन उपज, सहकारी समिति नयापारा महासमुंद
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S.
(थाना का नाम):

District(State)
(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): तोषराम सिन्हा

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व० रामरतन सिन्हा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1962

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
--------------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फारेस्ट कालोनी, महासमुंद, महासमुंद, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	फारेस्ट कालोनी, महासमुंद, महासमुंद, महासमुंद, छत्तीसगढ़, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-8236084818

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	रामकृष्ण मिरी प्रबंधक वनोपज			1. सहकारी समिति मर्यादित, महासमुंद, महासमुंद, महासमुंद, छत्तीसगढ़, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

जांच प्रतिवेदन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के कारण

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नट्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	--	------------------------	------------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-)
(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
--------------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नट्थी करें)):

मैं महासमुंद वन परिक्षेत्र में अक्टूबर 2021 से वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ कि वन क्षेत्रपाल श्री शकिल अकर कुरैशी द्वारा समिति प्रबंधक रामकृष्ण मिरी द्वारा शाखकर्तन श्रमिकों का बनाये गये कुल 18 प्रमाणकों की कुल राशि 88000 रुपये में से 44000 रुपये भुगतान कर आधी राशि 44000 रुपये की अफरा तफरी की गई है। जिस संबंध में लिखित आवेदन पेश कर रहा हूँ। आवेदन नकल जैल है- प्रति,थाना प्रभारी महासमुंद विषय :- श्री रामकृष्ण मिरी प्रबंधक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित महासमुंद के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतकर शासकीय राशि गबन करने बाबत। विषयांतर्गत लेख है कि वन क्षेत्रपाल जिला युनियन महासमुंद श्री शकिल कुरैशी के द्वारा पत्र क्रमांक/2028 दिनांक 24.05.22 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये हैं। 1. प्रबंधक रामकृष्ण मिरी द्वारा समिति के चेक क्रमांक 245558 से राशि 108000/- आहरण किया गया था जिसमें शाखकर्तन भुगतान की राशि 88000/ तथा प्रबंधक वेतन एवं यात्रा देयक राशि 20,000 थी। समिति के 18 फंडों में प्रबंधक ने सभी फंड मुंशियों को 55/- प्रति मानक बोरा के दर से भुगतान नहीं किया तथा आहरित राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर फर्जी प्रमाणक तैयार कर श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर 44000/- रु. प्रबंधक स्वयं रखी इसकी पुष्टि के लिए मेरे द्वारा समिति की फंड अमावस जाकर फंड मुंशी अनिल दीदी का बयान लिया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें 5500/- रु. के प्रमाणक में हस्ताक्षर करवा कर 2750/-रु. दिये गये और सभी श्रमिकों का भुगतान निपटाने कहा गया। फंड मुंशी को भुगतान देने ग्राम अमावस प्रबंधक मिरी दिनांक 17/05/2022 को गये थे। प्रमाणक की राशि 5500/- के साथ श्रमिक सूची में श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर पाये गये हैं प्रमाणक एवं सूची अवलोकनीय है। (फंड मुंशी का बयान संलग्न है।) 2. दिनांक 01/06/2022 को जांच कार्यवाही हेतु समिति की फंड ग्राम गोपालपुर के आश्रित ग्राम मुसकी जाकर शाखकर्तन श्रमिकों का बयान/ पंचनामा लिया गया जिसमें पंचनामा के समय उपस्थित 06 श्रमिकों ने बताया कि उन्हें दिनांक 01/06/2022 तक भुगतान नहीं किया गया है। उपस्थित फंड मुंशी ने बताया कि उन्हें प्रबंधक श्री मिरी ने 2000/- रु. ग्राम मुसकी में दिनांक 30/05/2022 को शाखकर्तन भुगतान हेतु दिया है जिसे मुंशी ने भुगतान नहीं किया है। प्रमाणक में 5500/- रु. दर्ज है तथा मुंशी एवं श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। इसी प्रकार झालबमरिया महान फंड में भी राशि 8250/- की राशि में फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। सभी 18 फंडों के प्रमाणक में प्रथम दृष्टिया फर्जी हस्ताक्षर युक्त पाये गये हैं। प्रबंधक द्वारा दिनांक 30/5/2022 को महासमुंद प्राथ. वनो. स. समिति का शाखकर्तन भुगतान पूर्ण हो जाने की जानकारी जिला यूनियन कार्यालय महासमुंद में असत्य दी गई है। जांच के समय प्रबंधक मिरी अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह पाया गया है। निष्कर्ष:- समिति प्रबंधक रामकृष्ण मिरी द्वारा शाखकर्तन श्रमिकों का बनाये गये कुल 18 प्रमाणकों की कुल राशि 88000 रुपये में से लगभग 44000/- रु. भुगतान कर आधी राशि 44000/- रु. की अफरा-तफरी की गई है। इसकी प्रथम सूचना पत्र रिपोर्ट दर्ज

करने कष्ट करे। संलग्न:- जांच रिपोर्ट की छायाप्रति 83 पेज हस्ताक्षर अस्पष्ट अंग्रेजी में वन परिक्षेत्र अधिकारी महासमुन्द

13. Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है।):

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

SUDHIR SINGH THAKUR (सहायक उप - निरीक्षक) /

Or (या)

(2 Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम

Rank

No(सं.):

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया

(3 Refused investigation due to (जांच के

or (के कारण इन्कार किया या)

(4 Transferred to P.S.(थाना):

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer In Charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SUDHIR SINGH THAKUR

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):